कार्यालय – जनपद न्यायालय, ललितपुर
कोटेशन सूचना

दिनांक– 21.11.2024.

कोटेशन

वाहय न्यायालय, महरोनी में डिस्प्ले बोर्ड एवं कियास्क मशीन उपकरण इंसटाल किया जाना है। जिसके सम्बन्ध में सम्बधिंत प्रतिष्ठानों को सूचित किया जाता है कि वाहय न्यायालय, महरोनी में डिस्प्ले बोर्ड लगाये जाने के सम्बन्ध में इच्छुक फर्म/संस्था, कुटेंशन दिनांक 25.11.2024 को सायं 04:30 बजे तक कम्प्यूटर अनुभाग, जनपद न्यायालय, ललितपुर में जरिये डॉक, ई–मेल अथवा स्वयं उपस्थित होकर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। कुटेशन दिनांक 25.11.2024 को सायं 04:30 बजे खोले जाएंगे। समय अवधि के पश्चात प्राप्त कुटेशन पर कोई विचार नही किया जायेगा। कुटेशन के नियम व शर्तें जनपद न्यायालय, ललितपुर की वेबसाइट तथा मुख्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी देखी जा सकती है। कुटेशन प्रस्तुत करने वाली फर्म कुटेशन की नियम व शर्तों के अनुसार ही अपना कुटेशन प्रस्तुत करें।

Sd/-

(सुनील सिंह),
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (द0प्र0क्षे0),
अध्यक्ष, कय समिति
जनपद न्यायालय,
ललितपुर।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना पट्ट पर चस्पा करने व वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

1– केन्द्रीय नाजिर, जिलाधिकारी कार्यालय को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

2– केन्द्रीय नाजिर, जनपद न्यायालय, ललितपुर को न्यायालय के समस्त सार्वजनिक स्थलों व मुख्य कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

3– सिस्टम आफिसर, जनपद न्यायालय, ललितपुर को माननीय उच्च न्यायालय एवं जनपद न्यायालय ललितपुर की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

4– सहायक नाजिर, वाहय न्यायालय, महरोनी को न्यायालय के समस्त सार्वजनिक स्थलों व मुख्य कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

Sd/-

अध्यक्ष, कय समिति
जनपद न्यायालय,
ललितपुर।

कार्यालय – जनपद न्यायालय, ललितपुर

वाहय न्यायालय, महरोनी में डिस्प्ले बोर्ड एवं कियास्क मशीन उपकरण लगवाये जाने हेतु कुटेशन के लिए अनिवार्य नियम व शर्तें–

1. माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेश के अनुपालन में वाहय न्यायालय, महरोनी में दो न्यायालयों हेतु डिस्प्ले बोर्ड लगाये जाने के सम्बन्ध दिनांक 25.11.2024 (कार्यालय समय 10:30 बजे से शाम 04:30 बजे तक) पंजीकृत व अधिकृत फर्मो से कुटेशन आमंत्रित किया जाता है।

2. कुटेशन प्रस्तुत करने वाली पंजीकृत व अधिकृत फर्म जी०एस०टी० व राज्य को अदा किए जाने वाले अन्य करों हेतु पंजीकृत होनी चाहिए।

3. कुटेशन प्रस्तुत करने वाली पंजीकृत व अधिकृत फर्म को न्यूनतम 01 वर्ष की ऑन साइट वारंटी/सेवायें देना अनिवार्य है।

4. डिस्प्ले बोर्ड हेतु मानीटर एवं पावर के लिए इक्सटेशन बोर्ड न्यायालय के बाहर इंसटाल किये जाने है। न्यायालय के डायस से बाहर मुख्य द्वार तक वी0जी0ए0 केबल, Spliter , पावर के लिए इक्सटेशन बोर्ड एवं अन्य सामग्री फर्म द्वारा आपूर्ति करना होगा। डिस्प्ले बोर्ड, मानीटर एवं कियास्क मशीन न्यायालय द्वारा प्रदान किया जायेगा।

5. सभी प्राप्त कुटेशन दिनांक 25.11.2024 को सायं 04.30 बजे तक अध्यक्ष, क्रय समिति, जनपद न्यायालय, ललितपुर के समक्ष खोली जायेगीं। कुटेशन प्राप्त होने की नियत अन्तिम तिथि व समय के उपरान्त प्राप्त होने वाली किसी कुटेशन पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। कुटेशन प्रस्तुत करने वाली फर्म यदि चाहे तो अपने अधिकृत प्रतिनिधि को कुटेशन खोले जाने के समय भेज सकती है।

6. कुटेशन प्रस्तुत करने वाली पंजीकृत व अधिकृत फर्म सभी करों को सम्मिलित करते हुए ही अपना कुटेशन दर प्रस्तुत करे, एक बार कुटेशन प्रस्तुत कर दिये जाने के बाद कोटेशन की दर और कर मे कोई वृद्धि अनुमन्य नही होगी और दी गई कुटेशन की दर ही अन्तिम होगी।

7. कुटेशन की नियम एवं शर्तो का किसी भी कार्य दिवस में कम्प्यूटर अनुभाग जनपद न्यायालय ललितपुर में समय 10.30 बजे से सायं 02:.30 बजे तक अवलोकन किया जा सकता है और उन्हे प्राप्त किया जा सकता है ।

8. कुटेशन स्वीकार होने पर सम्बन्धित फर्म/संस्था को उपकरण व अन्य व्यय स्वंय अपने खर्चे पर पहुँचानी होगी एवं आपूर्ति की गई सामग्री में यदि कोई खराबी पायी जाती है तो उसे उसके द्वारा अपने खर्च पर ही बदला जाना अनिवार्य होगा।

10. किसी भी कुटेशन या समस्त कुटेशन को बिना कोई कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश, ललितपुर में निहित है और इस संदर्भ में उनका निर्णय अन्तिम होगा।

Sd/-

अध्यक्ष, कय समिति
जनपद न्यायालय,
ललितपुर।